

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 202/2025(GCMS : 2025/305)

लीलाधर पुत्र श्री सोहन लाल जाति अरोडा, उम्र 67 वर्ष निवासी पुराना राधा स्वामी सत्संग भवन रोड़, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व), उपतहसील, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर
  2. विपिन सेतिया
  3. अंकित सेतिया
- पुत्रगण श्री देसराज सेतिया, जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं. 15, नजदीक अरोड़वंश पार्क, जैतसर तहसील श्रीविजयनगर



**10.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी श्री लीलाधर ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, (राजस्व) जैतसर के न्यायालय में वसीयत प्रकरण संख्या 07/2025 अनवान विपिन सेतिया में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था। तत्कालीन नायब तहसीलदार का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिए यह प्रकरण निष्प्रभावी होने के कारण खारिज करने योग्य है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, जैतसर के न्यायालय में विचाराधीन वसीयत प्रकरण संख्या 07/2025 अनवानी विपिन सेतिया में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन नायब तहसीलदार, जैतसर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार, जैतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर ख  
न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

